भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 560
दिनांक 04 फरवरी, 2026 / 15 माघ, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

जाति आधारित जनगणना

560. श्रीमती राजाथी:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ने भारत में जाति आधारित जनगणना के संबंध में कोई प्रारुप नियम परिचालित किए हैं;

(ख) क्या मंत्रालय को राज्य सरकारों, विशेषकर तमिलनाडु सरकार से, कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें जातियों की गणना के लिए दिशा-निर्देशों को अंतिम रुप देने से पहले राज्यों के साथ परामर्श करने की सिफारिश की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इन अभ्यावेदनों पर क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क). भारत सरकार की जनगणना 2027 करवाने की मंशा अधिसूचित कर दी गयी है। जनगणना में जाति की गणना भी द्वितीय चरण में की जाएगी। भारत में जनगणना कार्य दो चरणों में किया जाता है। प्रथम चरण यानि मकान सूचीकरण कार्य (House Listing Operation-HLO) में प्रत्येक परिवार की आवासीय स्थिति, संपत्तियों, सुविधाओं आदि की जानकारी एकत्र की जाती है। द्वितीय चरण यानि जनसंख्या जनगणना (Population Enumeration-PE) में प्रत्येक व्यक्ति के जनसांख्यिकीय, सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक, एवं अन्य विवरण एकत्र किए जाते हैं। भारत सरकार ने (22 जनवरी 2026) प्रथम चरण के लिए प्रश्न अधिसूचित कर दिए हैं। द्वितीय चरण के प्रश्न, जिनमें जाति से संबंधित प्रश्न भी शामिल होंगे, जनगणना कार्य के दूसरे चरण के प्रारंभ से पूर्व अधिसूचित किए जाएंगे।

(ख) एवं (ग). तमिलनाडु राज्य सहित विभिन्न राज्यों की विभिन्न संस्थाओं से जाति की गणना से संबंधित कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। द्वितीय चरण के प्रश्नों को, जाति से संबंधित प्रश्न को शामिल करते हुए, स्थापित प्रक्रिया के अनुसार अंतिम रूप देकर अधिसूचित किया जायेगा।

*****